Dr. Vishwajeet Singh
A.I.H.C & Archaeology
Vikram University
Ujjain (M.P.)

B.A. IV Semester

World War I
Part - 2
(In Continuation)

Scanned by CamScanner

ज़ार के शासन को समाप्त करके सत्ता लेनिन और उसके साथियो के हाथो मे आ गई। रूस मे बोलशेविक दल का राज्य शांति का इच्छुक था परिणामत: रूस ने जर्मनी से समझौता कर ब्रेस्ट लिटवास्क की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए।

1917 ई. मे रूस के हट जाने पर जर्मनी की स्थिति बहुत शक्तिशाली हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मित्रराष्ट्र पराजित हो जायेगे किन्तु अमरीका ने उनकी सहायता की। एक जर्मन पनडुब्बी ने अमरीका के एक जहाज लुसीटेनिया पर गोला मारकर उसे डुबो दिया, जिससे बहुत से अमरीकन डूब गए। इससे अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का बहाना मिल गया। अमरीका से सेना यूरोप मे आने लगी। सम्पूर्ण प्रयत्न करने पर भी जर्मनी युद्ध मे डटा न रह सका और अन्त मे नवम्बर 1918 मे उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा।

तुर्की धुरी राष्ट्रो (Central Powers) की ओर से लड़ा किन्तु अन्तत: उसे पराजय मिली और उसे हथियार डालने पड़े।

जापान ने 1914 ई. मे धुरी राष्ट्रो के विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया और उसने क्वाई-चाउ (Kai-chow) प्रान्त तथा शानटुंग प्रान्त मे जर्मनी की बस्तियो पर अधिकार कर लिया। यद्यपि चीन भी मित्रराष्ट्रो का साथी था तथापि जापान उससे 21 मांगे स्वीकार करवाने मे सफल रहा और चीन जापान के अधिकार मे आ गया।

पेरिस शांति सम्मेलन — जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की को हराने के पश्चात मित्रराष्ट्रो के कूटनीतिज्ञ यूरोप के भावी मानचित्र के विषय मे निर्णय के लिए पेरिस मे सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज, क्लेमान्सो और आरलैण्डो ने सम्मेलन मे बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। जर्मनी ने विल्सन के चौदह सिद्धान्तो के आधार पर आत्मसमर्पण

Scanned by CamScanner

DATE
PAGE

रोका था। परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति विल्सन को उनके बातों में समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा था।

लायड जार्ज को सम्मेलन में कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा. उसे अपने साथियों में समझौता कराने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा। और इसने वर्साय की सन्धि में उनके हित और सार्वभौमिक हितों के लिए व्यवस्था करा दी थी.

वर्साय की सन्धि (1919 ई.) जब वर्साय की सन्धि का मसौदा तैयार हो गया, तब जर्मनी को अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजने के लिए कहा गया। और जर्मनी ने अपने विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल बनाया गया। दुर्भाग्य से प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों पर कड़ी निगरानी रखी गई और उन्हें बाहर घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी. 7 मई 1919 ई को जर्मन प्रतिनिधि मण्डल को सन्धि की शर्तें दे दी गई। जिसमें जर्मनी पर कई बड़ी बड़ी कठोर शर्तें जुर्माना लादकर जर्मनी की निंदा की गयी उसे घोर अपमानित किया गया। उसे शर्तें (मसौदे) का उत्तर तीन सप्ताह में अवश्य भेजना होगा तथा सारा पत्र व्यवहार उन्हें लिखित रूप से करना होगा।

इन शर्तों के प्रकाशित होने पर सारे जर्मनी में क्षोभ की लहर फैल गयी। मित्रराष्ट्रों की उनके विश्वासघात और धोखे के लिए निन्दा की गयी। जर्मनी ने सन्धि पर एक लम्बा स्मृतिपत्र (Memorandom) तैयार किया। सन्धि की शर्तें 230 पृष्ठों की थी और जर्मनी का स्मृतिपत्र 443 पृष्ठों का था। लायड जार्ज के सुझाव के कारण शर्तों में सूक्ष्म सा परिवर्तन किया गया और संशोधित सन्धि जर्मनी को भेज दी गई और उसे पाँच दिन का समय देते हुए कहा गया कि यदि इस अवधि में इसे स्वीकार नहीं किया गया तो जर्मनी पर आक्रमण कर दिया जाएगा। सन्धि की शर्तें इतनी अन्यायपूर्ण थी कि इसे स्वीकार करने की अपेक्षा बहुत से जर्मन नागरिक मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध लड़ते हुए मर जाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। किन्तु जर्मन सेनापति

Scanned by CamScanner

DATE
PAGE

हैण्डनबर्ग ने स्पष्ट कर दिया कि मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध लड़कर जीतना असम्भव है। जर्मनी में अकेला पड़ गया और वाइमर स्थित जर्मन विधान सभा ने सन्धि की शर्तों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। जर्मन प्रतिनिधि ने कहा, "हमारा देश विशाल शक्ति के दबाव के कारण झुक रहा है किन्तु इसके कारण वह न्याय की उपेक्षा और अत्यन्त अन्यायपूर्ण सन्धि की शर्तों के विषय में अपने विचार नहीं छोड़ेगा। और अन्ततः 28 जून 1919 को आर्क ड्यूक फर्डिनेण्ड की हत्या की पाँचवी बरसी के दिन जर्मनी के प्रतिनिधियों ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर किए।

वर्साय की सन्धि की शर्तें 15 भागों में थी और अनेक संयुक्त पत्रों के अतिरिक्त इसकी 440 धाराएं थीं। मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित थी

(1) जर्मनी को आल्सेस एवं लॉरेन - फ्रान्स को
यूपेन (Eupen) और मेलमिडे बेल्जियम को
मेमेल (Memel) लिथुआनिया को
और पोसेन एवं पश्चिमी प्रशिया का कुछ भाग पोलैण्ड को देना पड़ा।

(2) डेनजिंग (Danzig) को स्वतंत्र नगर के रूप में लीग आफ नेशन्स के अधिकार में रख दिया गया।

(3) राइनलैण्ड को सेना रहित कर दिया गया, यहाँ पर सभी प्रकार की सैनिक गतिविधि बन्द कर दी गई।

(4) 15 वर्ष की अवधि के लिए सार घाटी को लीग ऑफ नेशन्स के अधिकार में रखा गया और इसके बाद इस प्रदेश को फ्रान्स को दिया जाए अथवा जर्मनी को इसका निर्णय सार्वजनिक मतदान द्वारा सम्पन्न होने की व्यवस्था की गई जब मतदान हुआ तब सार घाटी की जनता ने जर्मनी में मिलना स्वीकार किया।

(5) व्यवस्था की गई कि हेलिगोलैण्ड और ड्यून की बन्दगाहें और मोर्चेबन्दियाँ नष्ट कर दी जाए।

(6) जर्मनी को अपने समुद्रपार के उपनिवेशों पर सारे अधिकार मित्रराष्ट्रों को देने के लिए विवश कर दिया गया

Scanned by CamScanner

औरे मे उपनिवेश ब्रिटेन, फ्रान्स, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम ने आपस मे बांट लिए

(7) न्यूजीलैण्ड को सैमोआ द्वीप का जर्मन भाग दिया गया.
इंग्लैण्ड को पश्चिमी अफ्रीका का जर्मन भाग मिला और कैमरून और टोगोलैण्ड को फ्रान्स और इंग्लैण्ड ने आपस मे बांट लिया

(8) बेल्जियम, पोलैण्ड और चैकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता और सर्वाधिकार सम्पन्नता को जर्मनी ने मान्यता दी।

(9) जर्मनी ने चीन, थाईलैण्ड, मिस्र, मोरक्को और लिबेरिया मे अपने अधिकार और विशेष सुविधाए भी छोड़ना स्वीकार किया। मित्र राष्ट्रो ने समुद्रपार रहने वाले जर्मन नागरिको तथा कम्पनियो की सारी सम्पत्ति, अधिकार और हितो को रखने और बेचने का अधिकार भी अपने हाथ मे ले लिया और व्यवस्था की कि इसकी क्षतिपूर्ति जर्मनी की सरकार स्वयं करेगी। बल्गारिया और टर्की मे जर्मनी की सम्पत्ति और सुविधाए जब्त कर ली गई।

(10) जर्मनी की सैन्य शक्ति को सर्वदा के लिए एक ही बार समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। जर्मनी की कुल सेना की संख्या एक लाख नियत की गई।

(11) जर्मनी के समुद्री बेड़े के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया। जर्मनी कुल 6 युद्धपोत 6 हल्के लड़ाकू जहाज 12 तोपची जहाज और 12 तारपीडो नावे रख सकता था इसे एक भी पनडुब्बी रखने की आज्ञा नहीं थी

12 जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय पर अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार तथा सन्धियो के विरुद्ध घोर अपराध करने का अभियोग लगाया गया. उस पर एक सैनिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।

(13) जर्मनी को 1914–18 ई. के विश्वयुद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा. सन्धि की 223 वी धारा इस प्रकार थी: "मित्र और सम्मिलित राष्ट्र अभियोग लगाते है और जर्मनी अपनी और अपने साथियो की ओर से स्वीकार करता है कि जर्मनी और उसके साथियो द्वारा

Scanned by CamScanner

जबरदस्ती लादे गए युद्ध के कारण मित्र और सम्मिलित राष्ट्रों तथा उसके नागरिकों को जो भी हानि और नुकसान हुआ है उसका उत्तरदायित्व जर्मनी तथा उसके साथियों पर ही है" जर्मनी को बेल्जियम द्वारा युद्धकाल में लिया गया ऋण भी देना पड़ा। उसे इस ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ा।

(14) जर्मनी को 1870-71 ई. के फ्रैंको-प्रशियन युद्ध में फ्रान्स से प्राप्त कलात्मक कृतियां, हवज और अन्य वस्तुएं वापिस करनी पड़ी।

इस दौरान क्षतिपूर्ति आयोग की स्थापना भी हुई और सेंट जर्मेन की सन्धि (1919 ई.) मित्रराष्ट्रों और आस्ट्रिया-हंगरी में हुई। इस सन्धि का परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रिया क्षेत्र और जनसंख्या में पुर्तगाल से भी छोटा गणतंत्र रह गया।

इस दौरान ट्रियनन की सन्धि (1920) हंगरी-मित्रराष्ट्र न्यूली की सन्धि (1919) बल्गारिया और मित्रराष्ट्रों में हुई और सैवरेज की सन्धि (1920 ई.) तुर्की और मित्र-राष्ट्रों के बीच हुई। और शांति सन्धि का कार्य स्वयं निर्णय के सिद्धान्त पर हुआ।

अमेरिका द्वारा वर्साय शांति सन्धि की अस्वीकृति -

प्रजातंत्रवादी शान्ति सन्धि का समर्थन तथा गणतंत्रवादी इसका विरोध करते थे। किन्तु नई सरकार ने जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी से पृथक सन्धियां की जिन्हें 1921 ई. में सीनेट ने स्वीकार किया।